ISGEC

ISGEC HEAVY ENGINEERING LTD.

A-4, Sector-24,
Noida - 201 301 (U.P.) India
(GST No.: 09AAACT5540K2Z4)

Tel.: +91-120-4085000 / 01 / 02
Fax: +91-120-4085100
www.isgec.com

Uploaded on BSE Limited
Website: http://listing.bseindia.com

Ho-425-S

January 22, 2019

Manager – Department of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Ltd.,
Registered Office: Floor 25,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Dear Sir/Madam,

(Scrip Code : 533033, Scrip Id: ISGEC)
Subject: Newspaper advertisement of Notice to the Shareholders for transfer of Shares to IEPF Authority

1. In terms of Regulation 30 and 47 (3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company hereby inform that, a Notice to the Shareholders has been published in the 'Business Standard' (English daily newspaper) and 'Hari Bhoomi' (Hindi daily newspaper) on January 21, 2019, under applicable provision of Rule (6) (3)(a) of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rule, 2016, and as amended from time to time.

2. As required under Regulation 46 (2)(q) the said notice have also been placed on the Company's website at www.isgec.com and the Shareholders may refer to the same for details.

3. Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Isgec Heavy Engineering Limited

for (S. K. Khorana)
Executive Director and Company Secretary

Encl: As above

ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED

CIN: L23423HR1933PLC000097
Regd. Office: Radaur Road, Yamunanagar – 135001, Haryana.
Ph: 01732-661061/62, **Fax No.:** 01732-250991
Email Id: roynr@isgec.com, **Website:** www.isgec.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given under Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, hereinafter referred to as "IEPF Rules".

i) In terms of Rule 6 of IEPF Rules, all shareholders in respect of which dividend warrant has not been encashed in the last 7 consecutive years are required to be credited to DEMAT Account of the IEPF Authority.

ii) The concerned shareholders who have not encashed the dividend warrant in the last 7 consecutive years have been informed about this by individual notices.

iii) This notice is in compliance with Rule 6(3)(a) of the IEPF Rules.

iv) Hence all the shares in respect of which dividends are not claimed/paid for the last 7 consecutive years have to be transferred to the IEPF DEMAT A/c as per the said notification.

v) The statement containing the details of name, address, folio number, demat account no. and number of shares due for transfer is made available in or website www.isgec.com for information and necessary action by the shareholders.

Shareholders who have not claimed their dividends in the last 7 consecutive years can write to Registrar and share Transfer Agents M/s. Alankit Assignments Ltd., Alankit House, E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or at Registered office of the Company on or before 2nd March, 2019 for further details and for making a valid claim. In case no valid claim is made, the relevant shares will be transferred to the IEPF DEMAT A/c by 31st March 2019 as may be identified by the IEPF Authority.

vi) Any person, whose shares and unclaimed dividends are transferred to the Fund, has to claim the shares and unclaimed dividends from the fund, in accordance with such procedure and on submission of such documents as may be prescribed.

For ISGEC Heavy Engineering Limited
Sd/-
(S. K. Khorana)
Executive Director and Company Secretary

Place : Yamunanagar
Date : 21.01.2019

The
IMPA
Zona
GSTI
E : ia

INDIABULLS HOUSING
under the Securitization
nt of Security Interest [Act,
under Section 13 (12) read
es, 2002 issued demand
S. MANJU KAUSHIK AND
nt mentioned in the notice
Thousand Nine Hundred
0188300 as on 17.10.2018
E-bi
ALL
Sho
situ
Gha
7/76
(Re
The
co
"ht
997
the
Tho
bef
are
Flo
loa
Ku
Ga
rec
are
Si
99
Th
(E
loa
no
t of the said notice.
ice is hereby given to the
ned has taken **symbolic**
ercise of powers conferred
d with Rule 8 of the Security
ereby cautioned not to deal
be subject to the charge of
in amount of **Rs.7,20,942/-**
ed Forty Two Only)** as on
Section (8) of Section 13 of
d assets.
operty
-1006 AREA MEASURING
CALVE SITUATED AT
001, UTTAR PRADESH.
PER TITLE DEED
PER TITLE DEED
Sd/-
Authorised Officer
USING FINANCE LIMITED

05th February, 2019 at Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110 025, to inter alia, consider and approve the Unaudited Financial Statements (Standalone and Consolidated) of the Company for the third Quarter ended on 31st December, 2018.

In terms of Securities and Exchange Board of India (prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Company's Internal Code for Insider Trading, the Trading Windows for dealing in Securities of the Company will remain closed for all Directors/Officers/designated Employees of the Company from 30th January 2019 to 07th February, 2019 (both days inclusive).

The same notice may be accessed on the Company's website at www.chl.co.in and website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

For **CHL LIMITED**

Place : New Delhi
Date : 22nd January, 2019

G J Varadarajan
Company Secretary

FRESHTROP FRUITS LTD

Registered Office: A-603, Shapath IV, Opp. Karnavati Club, S.G. Road, Ahmedabad-380015
CIN: L15400GJ1992PLC018365 | Website: www.freshtrop.com | Email: investor@freshtrop.com

NOTICE

Pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, 29th January, 2019** to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2018.

The said Notice is also available at Company's website **www.freshtrop.com** and on the website of stock exchanges at www.bseindia.com.

By order of the Board
FOR, FRESHTROP FRUITS LIMITED
Sd/-
Ashok Motiani
Chairman & Managing Director,
DIN No. : 00124470

Date : 21-01-2019
Place : Ahmedabad

खबर संक्षेप

कुवि ने घोषित किए आठ परीक्षाओं के परिणाम

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा ने आठ परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉ. हुकम सिंह ने बताया कि सत्र दिसम्बर 2018 में आयोजित एमफिल पंजाबी, एमएससी माइक्राबायोलॉजी प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर, एमबीए ऑनर्स तृतीय सेमेस्टर, बीपीएड प्रथम सेमेस्टर, एमए फाईन आर्टस प्रथम सेमेस्टर, एमएससी बायोकेमेस्ट्री तृतीय सेमेस्टर व बीए पार्ट प्रथम रीअपियर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है।

होमगार्ड लगवाने के नाम पर ठगे डेढ लाख, केस दर्ज

भिवानी। पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर होमगार्ड लगवाने के नाम पर डेढ लाख रुपए ठगने पर दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को दी शिकायत में रामेश्वर ने बताया कि उसके पास हुडा चौक निवासी तथा अम्बेडकर कॉलोनी निवासी एक युवक आया। उक्त युवकों ने अपनी पुलिस अधिकारियों से जान पहचान होने का दावा किया और कहा कि वे होमगार्ड में नियुक्ति करवा सकते है। जिसके बदले में उक्त आरोपियों ने डेढ लाख रुपए मांगे। जो कि उन्होंने दे दिए। अब न तो उनकी नौकरी दिलाई और न ही पैसे वापस कर रहे है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बस व ट्रैक्टर की टक्कर में एक की मौत, 8 घायल

फरीदाबाद। तिगांव गांव में सोमवार सुबह कंपनी की बस और ईंट से भरे ट्रैक्टर-ट्राली के बीच आमने सामने भिडंत हो गया। इस हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 8 कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को सेक्टर 8 अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तिगांव थाना पुलिस के अनुसार नोएडा के सूरजपुर स्थित यामाहा इंडिया कंपनी की बस प्रतिदिन की तरह सोमवार सुबह भी कर्मचारियों को लेकर नोएडा जा रही थी। यह बस कौराली गांव से सुबह 6 बजे चली थी। बस को चांदपुर गांव निवासी ड्राइवर शीशपाल चला रहा था। बस में कंपनी का कर्मचारी कौराली गांव निवासी हरीश, गढखेड़ा गांव निवासी कुलदीप, गौरव, भुआपुर गांव निवासी हरिदास, तिगांव निवासी श्रद्धानंद नागर व गौरव मौजूद थे। जब यह बस तिगांव से निकलकर पेट्रोल पंप के सामने पहुंची, तभी बल्लभगढ़ की ओर से आ रहे ईंट से भरे ट्रैक्टर-ट्राली की आमने सामने भिडंत हो गई। ट्रैक्टर को हथीन के कौंडल गांव का निवासी ईसुब चला रहा था। उसके पास यूपी के घोंडा में रहने वाला 45 साल का अशोक बैठा हुआ था। जबकि ट्राली पर सुरेश, ओम व ऋषि नामक मजदूर बैठे थे। मिली जानकारी के अनुसार आमने-सामने हुई भिडंत में ट्रैक्टर पर सवार मजदूर अशोक की मौत हो गई। जबकि बस में सवार कर्मचारियों सहित ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर ईसुब भी घायल हो गया।

बेटे का ग्रुप-डी में चयन होने पर की थी पार्टी

दिल्ली पुलिस के एसआई ने चचेरे भाई को मारी गोली

मृतक के बेटे की ग्रुप डी में लगी नौकरी की वजह से एक परिचित के यहां इकट्ठे हुए थे दोनों भाई

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बहादुरगढ़

बहादुरगढ़। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते परिजन। *फोटो: हरिभूमि*

बीती रात को गांव खरहर में दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। एसआई ने लाइसेंसी पिस्तौल से अपने भाई को गोली मारी। वारदात के करीब तीन घंटे बाद ही आसौदा थाना पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। बता दें कि खरहर निवासी 48 वर्षीय कर्मवीर के बड़े बेटे संदीप ने ग्रुप-डी की परीक्षा पास की है। इस खुशी में गांव के ही रहने वाले सुखबीर के यहां कर्मवीर ने शाम को एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में कर्मवीर के ताऊ का बेटा सतवीर भी मौजूद था। रात करीब 9 बजे कर्मवीर और सतवीर में कहासुनी हो गई। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और तैश में आकर सतवीर ने कर्मवीर की छाती में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। गंभीर अवस्था में कर्मवीर को बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर में लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही आसौदा थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिजनों के बयान पर पुलिस ने सतवीर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। हत्यारोपित की तलाश में पुलिस ने गांव में कई जगह दबिश दी। रात को ही गांव से पुलिस ने हत्यारोपित सतवीर को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को आरोपित को अदालत में पेश किया गया। जहां से पुलिस ने उसे एक दिन के रिमांड पर लिया है। मृतक कर्मवीर का गांव रोहद में एक क्लीनिक है, जबकि हत्यारोपित सतवीर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। सतवीर भी गांव में ही रहता है। इन दोनों भाईयों में पिछले काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था। बताते हैं कि रात को इन दोनों में बच्चों की नौकरी को लेकर बहस शुरू हुई और कर्मवीर की मौत हो गई। मृतक कर्मवीर दो बच्चों का पिता था।

लिया गया रिमांड

पुरानी रंजिश के चलते कर्मवीर की हत्या की गई है। हत्यारोपित सतवीर को रात को ही गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल उसे एक दिन के रिमांड पर लिया गया है।

-सूरजभान एसएचओ, आसौदा थाना

पुलिसकर्मी ने पत्नी का मर्डर कर खुद की आत्महत्या की

अंबाला। थाना पंजोखरा क्षेत्र के गांव नसरौली में हरियाणा पुलिस के इएएसआई गुरदीप सिंह ने अपनी की पत्नी सुरिन्द्र कौर की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद के सिर पर भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू कलह का सामने आया है। वारदात सोमवार दोपहर की है। ईएएसआई गुरदीप सिंह ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से कुल पांच फायर किये। पहले उसने अपनी पत्नी के सिर में तीन गोलियां मारी, जिसके बाद वह मौके पर ही ढेर हो गई। इसके बाद गुरदीप सिंह ने घर के बाहर आकर खुद के सिर पर भी गोली मार ली। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी आस्था मोदी मौके पर पहुंची। सीन आफ क्राइम टीम ने भी घटनास्थल पर जांच की। 44 वर्षीय गुरदीप सिंह पंचकूला में पीसीआर 7 पर तैनात था। मृतक गुरदीप सिंह की एक 15 वर्षीय लड़की व 7-8 साल की उम्र के दो लड़के हैं। घटना के वक्त तीनों बच्चे स्कूल गये हुए थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।

मृतक का परिवार

- अंबाला के गांव का रहने वाला पंचकूला में पीसीआर पर तैनात था
- स्कूल गए हुए थे बच्चे, पीछे से दिया वारदात को अंजाम
- घरेलू विवाद में दोनों के बीच विवाद झगड़ा हुआ

स्विफट कार के इनाम का लालच देकर ठगे 72 हजार

अंबाला। इनाम में मारूति स्विफट गाड़ी निकलने का झांसा देकर कुछ लोगों ने शहर के एक व्यक्ति से 72 हजार रुपये ठग लिये। पुलिस को दी शिकायत में एके मुनीरूल निवासी कोतवाली सराय अंबाला शहर ने बताया कि 10 जनवरी को उसके पास एक अज्ञात नंबर से काल आई और उस व्यक्ति ने कहा कि आपने होम शाप 18 पर खरीदारी की है और आपकी मारूति स्विफ्ट गाड़ी इनाम में निकली है।

जमा करवाई नकदी

इसके बाद उक्त आरोपित के बताए अनुसार एक बैंक खाते में मुनीरूल ने पहले 4600, उसके बाद 15900, उसके बाद 23800, उसके बाद 20200 रुपये जमा करवा दिये। जब उसे न गाड़ी मिली और न ही इनाम की रकम मिली, तो उसने उक्त नंबर पर संपर्क किया तो कहा गया कि यदि उसके द्वारा जमा करवाये गये पैसे वापिस चाहिए तो 7600 रुपये और जमा करवाने होंगे। इसके बाद मुनीरूल से 7600 रुपये और जमा करवाये। मुनीरूल को इसके बाद कोई राशि वापिस नहीं मिली। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खुद को पुलिस कर्मचारी बताकर हजारों की नकदी व सामान छीना

सोनीपत। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर टेम्पो चालक से हजारों की नकदी व सामान छीनने का मामला सामने आया है। टेम्पो चालक का आरोप है कि कार सवार दो युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपित खुद को हरियाणा पुलिस का कर्मचारी बता रहे थे। गली नं-9 पालम कालोनी निवासी बबलु ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि व एसडब्लयु इंटर प्राईजेज में काम करता है। गत 17 जनवरी को पानीपत से दिल्ली के लिए सामान लेकर जा रहा था। वह भिगान टोल प्लाजा से पहले स्कार्पियों गाड़ी टेम्पो के आगे आकर रूकी। उसमें से दो युवक उसके पास आये। उन्होंने टेम्पो में भरे सामान की जानकारी ली। उसके बाद कम्बल देने की डिमांड की। मना करने पर दोनों उसे सुनसान खेत में ले गये। उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उससे 12 हजार 800 सौ की नकदी, मोबाइल व टेम्पों की चाबी लेकर फरार हो गये। राहगीरों की मदद से उसे नागरिक अस्पताल में लाया गया। जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी। छुट्टी मिलने के बाद वह अपने टेम्पों के पास पहुंचा। जहां से कंपनी का सामान गायब मिला। जिसकी कीमत करीब 52 हजार रुपये है। मामले की शिकायत पुलिस को दी।

सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक
Sarva Haryana Gramin Bank
(भारत सरकार का उपक्रम) (Govt. of India Undertaking)
प्रायोजक : पंजाब नैशनल बैंक Sponsored by: Punjab National Bank

TENDER NOTICE

Bank is inviting sealed tender for AMC of Hitachi make UPS in our bank. Interested parties may submit their sealed tender in the specified FORMAT along with their detailed profile in sealed envelopes which are to be deposited in Tender Box at the address given below on or before **24/01/19 at 12:00 PM.** All Vendors are thereafter advised to report to HO Rohtak on **24/01/19 at 3:00 PM** for the opening of Tenders. Every sealed tender should further contain two sealed envelopes titled "Commercial bid" and "Prerequisite documents". Prerequisite envelope must contain Company registration details, Experience Certificates as mentioned in Terms and conditions & Demand Draft (of Rs 50,000). In case prerequisite documents are not complete and upto satisfaction of tender committee, Commercial bid containing financial bid of that vendor would not be considered.

For terms & conditions, please refer our website www.shgb.co.in . The tender should be addressed to:
The General Manager,
Sarva Haryana Gramin Bank,
Head Office, SHGB House, Sector-3, Rohtak-124001 (HR).
Place: Rohtak **General Manager**

आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड
CIN : L23423HR1933PLC000097
पंजी. कार्यालय : रादौर रोड, यमुनानगर-135001, हरियाणा
Ph: 01732-661061/62, Fax No.: 01732-250991
Email Id: roynr@isgec.com, Website: www.isgec.com

शेयरधारकों को सूचना

इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथोरिटी (अकाउंटिंग, ऑडिट, ट्रांसफर एंड रिफंड) नियमों, 2016 के नियम 6 के तहत, इसके पश्चात् "आईईपीएफ नियमों" के रूप में संदर्भित के तहत एतद् द्वारा सूचना दी जाती है।

i) आईईपीएफ नियमों के नियम 6 के सम्बन्ध में, सभी शेयरधारकों जिनके सम्बन्ध में पिछले निरंतर 7 वर्षों में लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं करवाया है, को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाना आवश्यक है।
ii) सम्बन्धित शेयरधारकों जिन्होंने पिछले निरंतर 7 वर्षों में लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं करवाया है। उन्हें इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत नोटिसों द्वारा सूचित कर दिया गया है।
iii) यह सूचना आईईपीएफ नियमों के नियम 6 (3) (ए) के अनुपालन में है।
iv) अतः वे सभी शेयर जिनके लाभांश के सम्बन्ध में दावे / भुगतान पिछले निरंतर 7 वर्षों के दौरान नहीं किया गया है उन्हें उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार आईईपीएफ डिमेट अकाउंट में हस्तांतरित किया जाना है।
v) शेयरधारकों की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु नाम, पता, फोलियो नं., डिमैट अकाउंट नं. और हस्तांतरण हेतु बकाया शेयरों की संख्या निहित विवरण हमारी वेबसाइट www.isgec.com पर उपलब्ध करवाया गया है।
शेयरधारक जिन्होंने पिछले निरंतर 7 वर्षों में अपने लाभांशों का दावा नहीं किया है वे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स मै. अलंकित असाइनमेंट्स लि., अलंकित हाउस, ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 02 मार्च 2019 को या उससे पूर्व दावे को वैध बनाने हेतु और अतिरिक्त विवरण हेतु लिख सकते हैं। यदि वैध दावा नहीं किया गया तो सम्बन्धित शेयरों को 31 मार्च 2019 तक आईईपीएफ डिमेट अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जैसा कि आईईपीएफ अथॉरिटी द्वारा चिन्हित किया जा सकता है।
vi) कोई व्यक्ति जिसके शेयर और बिना दावे किये लाभांश फंड को हस्तांतरित हो गये हैं, उन्हें शेयरों और फंड से बिना दावे किये लाभांश हेतु ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर शेयरों का दावा करना होगा।

कृते आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ता/-
(एस.के. खोराना)
कार्यकारी निदेशक एवं कम्पनी सचिव
स्थान : यमुनानगर
दिनांक : 21.01.2019

महिला को बंधक बना किया दुष्कर्म

- अज्ञात क्रूजर जीप चालक के खिलाफ मामला दर्ज

हरिभूमि न्यूज ▶▶| जींद

सफीदों से पानीपत के लिए क्रूजर जीप में सवार हुई महिला को बंधक बना दुष्कर्म करने तथा बालियां छीनने का मामला सामने आया है। सफीदों थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात क्रूजर जीप चालक के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी। सफीदों थाना के अंतर्गत आने वाले गांव की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत दिवस शाम को वह सफीदों से पानीपत के लिए जीप में सवार हुई थी। रास्ते में सवारियां जीप से उतर गई, जिस पर चालक उसे पानीपत के इलाके में सुनसान जगह पर ले गया और दुष्कर्म किया। महिला ने आरोप लगाया कि चालक ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और उससे कानों की बालियां भी छीन ली। सफीदों थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात क्रूजर जीप चालक के खिलाफ दुष्कर्म, बंधक बनाने, छीना झपटी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी। थाना प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि महिला ने शिकायत देकर आरोप लगाते हुए दुष्कर्म करने, बालियां छीनने व धमकी देने की शिकायत दी थी।

युवती से दुष्कर्म का प्रयास केस दर्ज

सोनीपत। सदर थाना क्षेत्र स्थित बिल्डर कंपनी के लैट में युवती को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गांव के ही युवक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। राई थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने बताया कि पति से अनबन के चलते उसका कोर्ट में मामला चल रहा है। उनके गांव के रहने वाले अनिल ने कहा कि वह उसकी कोर्ट केस में मदद कर सकता है। अनिल उसे बहकाकर 12 जनवरी को रायपुर स्थित बिल्डर कंपनी के अपने लैट में ले आया। युवती का आरोप है कि दोपहर के समय आरोपित ने पहले उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसके विरोध करने पर आरोपित ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया था। किसी तरह वह भाग कर घर पहुंची। घर आकर परिजनों को अवगत करवाया। उसके बाद पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाकर कोर्ट में बयान दर्ज करवाये। पीड़िता के बयान पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

खेतों पर गई नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास

पलवल। एक 15 वर्षीय नाबालिग लडकी के साथ जबरन छेडछाड़ करने व दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक पीड़ित लडकी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि गत 17 जनवरी को वह किसी काम से खेतों की तरफ गई थी। खेतों में पहले से ही मौजूद गांव गढ़ी विनोदा निवासी धीरज ने उसे पकड़ लिया और खींचकर अंदर सरसों के खेत में ले गया। जहां पर धीरज ने पीड़िता के साथ छेडछाड़ की और दुष्कर्म कर प्रयास करने लगा। पीड़िता का शोर सुनकर उसके ताऊ का लडका मौके पर आ गया, जिसे देख धीरज जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।

क्रेशर मुनीम से मारपीट कर ढाई लाख की नकदी व बाइक छीनी

नारनौल। शहर से 8 किलोमीटर दूर गांव मुकुंदपुरा से चिराग की ढाणी के पास सुनसान सड़क पर पुल के पास सोमवार दोपहर क्रेशर मुनीम के साथ लूट की घटना घटी है। समाचार लिखे जाने तक फिलहाल पुलिस पर्चा दर्ज करने की तैयारी में थी। पुलिस को बताई घटना में पीड़ित रणधीर कुमार ने बताया है कि वह सतीश गर्ग की क्रेशर पर मुनीम का कार्य देखता है। वह सोमवार किसी काम से बाइक पर सवार होकर नारनौल की ओर जा रहा था। क्रेशर से निकलकर वह गांव मुकुंदपुरा से पहले ढाणी चिराग के पास सुनसान सड़क पर पुल के पास पहुंचा था। पुल के पास एक व्यक्ति पहले ही बैठा था। उसी वक्त सामने से एक अपाची बाइक पर तीन युवक आए और उसकी बाइक के सामने अपनी बाइक लगा दी। वह कुछ समा पाता, तब तक तीनों युवक बाइक से उतरे और उसे सड़क से नीचे पुल के पास मारते-पीटते ले गए। तीनों बदमाशों ने मुंह को ढका हुआ था। आरोप है कि पर्स में रखे 4 हजार सहित अन्य सामान जबरदस्ती छिन लिया और मारपिटाई की। इसी दौरान पहले से ही पुल के पास बैठे चौथा बदमाश सड़क पर खड़ी उसकी बाइक को स्टार्ट कर ले भागा। इस बाइक में 2 लाख 30 हजार की राशि थी। घटना के बाद किसी तरह उसने क्रेशर संचालक से सम्पर्क साधा और पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 पर कॉल करके जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन की।

क्या कहते है पुलिस प्रवक्ता

पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि क्रेशर मुनीम रणधीर कुमार ने तीन बदमाशों की ओर से मारपीट करके पैसा छिनने और चौथे बदमाश पर बाइक लेकर जाने का आरोप लगाया है। बाइक में 2.30 लाख रुपए की राशि बताई जा रही है। पर्चा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

- फिल्मी स्टाइल में घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस

सूचना

जिन ग्राहकों केस्वर्ण आभूषणों की नीलामी समय-समय पर हुई है और जिन्होंने अभी तक, उन्हें सूचित किए जाने के बावजूद नीलामी की बकाया रकम का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पॉन टिकट के साथ संबंधित शाखा से सम्पर्क करें और उन्हें मिलने वाली नीलामी की बकाया रकम को प्राप्त कर लें

मणप्पुरम फ़ायनांस लिमिटेड
CIN-L65910KL1992PLC006623,
IV/470A(ओल्ड)W638A(न्यू), मणप्पुरम हाउस.
वालापाड, त्रिचुर, केरल-680567.

आठ माह पूर्व रेवाड़ी में लावारिस अवस्था में मिली थी बच्ची

फिल्म निर्माता ने बच्ची को लिया गोद

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रेवाड़ी

बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाए जा रहे विशिष्ठ दत्तक ग्रहण एजैंसी आस्था कुंज में रह रही दो वर्षीय बच्ची को मुम्बई की महिला फिल्म निर्माता ने गोद लिया। यह बच्ची आठ माह पूर्व रेवाड़ी में लावारिस अवस्था में मिली थी। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय दत्तक रिसोर्स अथोरटी नई दिल्ली के द्वारा की जाती है और बच्चा जब कानूनी रूप से गोद देने के लिए फ्री घोषित किया जाता है उसके बाद ही बच्चे को गोद दिया जाता है। इससे पूर्व रेवाड़ी विशिष्ठ ग्रहण एजेंसी द्वारा दो लड़कियां एवं एक लड़के को गोद में दिया जा चुका है।

रेवाड़ी। गोद लेने वाली फिल्म मेकर माता बच्ची के साथ डीसी अशोक कुमार शर्मा से मिलते हुए।

डीसी से मिली महिला

सोमवार को गोद लेने वाली महिला बच्ची के साथ डीसी अशोक कुमार शर्मा से मिली। डीसी एवं अध्यक्ष जिला बाल कल्याण परिषद ने महिला को बधाई देते हुए कहा कि बच्ची की परवरिश अच्छी करें तथा उसे पढा लिखा कर योग्य बनाए। शर्मा ने कहा कि यह एक पुण्य का कार्य है, लड़की को गोद लेकर आपने सराहनीय कार्य किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नारे बेटी बचाओ-बेटी पढाओ को सार्थक रूप देने के लिए आपकी सोच सार्थक है। इस मौके पर डीसी ने बच्ची को पैन व टॉफी देकर आशीर्वाद दिया। बच्ची ने भी बायॅ-बायॅ कर हल्की सी मुस्कान देकर डीसी का दिल जीत लिया। शर्मा ने इस बच्ची के साथ कुछ पल भी बिताएं। जिला बाल कल्याण अधिकारी विरेन्द्र ने बताया कि तीन वर्ष तक इनकी रिपोर्ट प्राप्त की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे की देख-रेख व उनका पालन पोषण ठीक प्रकार से किया जा रहा है।

HDFC BANK
We understand your world

विशेष प्रचालन हेतु विभाग
द्वितीय तल, इंडियन एक्सप्रैस बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-02

कब्जा सूचना

चूंकि, प्रत्याभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमों, 2002 ("दि रूल्स") के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रत्याभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्त्तन और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रत्याभूतिकरण और पुनर्निर्माण [अधिनियम, 2002 (2002 का 54)] ("दि एक्ट") के तहत **एचडीएफसी बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी ने एक डिमांड नोटिस जारी किया। जिसमें निम्नलिखित कर्जदार / सह-कर्जदारों / गारंटरों / गिरवीकर्ता ("इसके पश्चात् संयुक्त रूप से "**कर्जदार**" के रूप में संदर्भित) का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अंदर डिमांड नोटिस में वर्णित राशि का पुनर्भुगतान करने का आह्वान किया गया। कर्जदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहने पर, कर्जदार और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कृते व एचडीएफसी बैंक लि. की ओर से उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है ("**प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों**")। कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिये, उपलब्ध समय के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की तरफ आमंत्रित किया जाता है। जिसमें विफल रहने पर नियमों के नियम 8 और 9 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रत्याभूत क्रेडिटर द्वारा नीचे वर्णित प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों को बेच दिया जाएगा। कर्जदारों को विशेषतः और सर्व साधारण को एतद् द्वारा प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों के साथ डील न करने की चेतावनी दी जाती है और प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार की डीलिंग लागत व परिव्यय सहित उन पर ब्याज सहित देय बकाया राशि हेतु **एचडीएफसी बैंक लि.** की वसूली के अधीन होगी।

शाखा :

क्र. सं.	कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता का नाम	प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों का वर्णन	डिमांड नोटिस की तिथि / कब्जे की तिथि / देय राशि
1	कर्जदार :- मै. एसएनजी ट्रेडिंग कम्पनी (प्रोपराइटरशिप फर्म) इसके प्रोपराइटर श्री गौरव कुमार के माध्यम से गिरवीकर्ता / गारंटर :- श्री गौरव कुमार, श्री मयंक गुप्ता, श्री नितिन गुप्ता / अग्रवाल, श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, सुश्री बृजबाला गुप्ता और सुश्री मंजू गुप्ता	1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा मालिकाना प्राप्त गांव वाजिदपुर, सबोली, तहसील और जिला सोनीपत हरियाणा में स्थित सम्पत्ति माप 8 कनाल 8 मरला जोकि खेवट नं. 319, खाता नं. 416 मिन, 415 मिन, खेवट सं. 546 मिन, खाता सं. 683 मिन किल्ला नं. 24/20/1 (1-1), 24//19/2/1/2, 19/2/2/2, 21/2, 22/1 में निहित है, के सभी भाग व हिस्से।	**डिमांड नोटिस तिथि** : 01 अगस्त 2018 **कब्जे की तिथि** : 21 जनवरी 2019 **एचडीएफसी बैंक लि. को देय राशि :** रु. 10,29,71,311.74 (रु. दस करोड़ उन्नतीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ ग्यारह और पैसे चौहत्तर केवल) सहित उस पर भविष्य का ब्याज और भुगतान की तिथि तक स्वीकृत शर्तों के अनुरूप आकस्मिक व्यय, लागत।
2	कर्जदार :- मै. एसएनजी एग्रो इम्पैक्स प्रा. लि. इसके निदेशकों गिरवीकर्ताओं / गारंटरों के माध्यम से :- श्री गौरव कुमार, श्री मयंक गुप्ता, श्री नितिन गुप्ता / अग्रवाल, श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, सुश्री बृजबाला गुप्ता और सुश्री मंजू गुप्ता	2. श्रीमती मंजू गुप्ता द्वारा मालिकाना प्राप्त गांव साफियाबाद, पाना पैपसोइयां, तहसील राई, जिला सोनीपत में स्थित सम्पत्ति भूमि क्षेत्रफल 1 कनाल 16 मरले जोकि खेवट सं. 250 मिन, खाता सं. 290 मिन, मुस्तातिल और किल्ला नं. 6//18 मिन में निहित है, के सभी भाग व हिस्से।	**डिमांड नोटिस तिथि** : 17 अगस्त 2018 **कब्जे की तिथि** : 21 जनवरी 2019 **एचडीएफसी बैंक लि. को देय राशि :** रु. 9,22,12,098.31 (रु. नौ करोड़ बाईस लाख बारह हजार अठानवें और पैसे इक्कतीस केवल) सहित उस पर भविष्य का ब्याज और भुगतान की तिथि तक स्वीकृत शर्तों के अनुरूप आकस्मिक व्यय, लागत।

दिनांक : 21 जनवरी 2019, स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि.**

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुव्किल के द्वारा निम्न कृशि भूमि का तबादला प्रस्तावित है :-

SW/JSO/963
हमकि रोशनी विधवा व जसवन्त सिंह – सुरेन्द्र कुमार पुत्रान कृश्ण कुमार पुत्र उदेसिंह निवासीगण गॉव लाडपुर एंव बिस्वेदारान गॉव श्योजीपुरा तहसील बादली जिला झज्जर (हरियाणा) में अराजी बरुवे इन्द्राज जमाबन्दी वर्ष 2017–18, के अनुसार अराजी खेवट न0 11/11 खाता न0 16 मु0 न0 8 किला न0 4/1(6–4), किता 1, तादादी रकबा 6 कनाल 4 मरले सालम (जिसमें जसवन्त सिंह – सुरेन्द्र कुमार हर दो समभाग) व खेवट न0 12मिन/12 खाता न0 17मिन मु0 न0 8 किला न0 7/1(2–16), 7/2(5–4), 8(8–0), मु0 न0 16 किला न0 4/1/1(2–12), किते 4, तादादी रकबा 18 कनाल 12 मरले सालम (जिसमें रोशनी सालम भाग) उपरोक्त दोनो खेवटों से तादादी रकबा 24 कनाल 16 मरले (3.1 एकड) वाका रकबा मौजा श्योजीपुरा तहसील बादली जिला झज्जर के मालिकान व काबिजान है जिसका तबादला प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुव्किल के साथ किया जा रहा है तथा प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुव्किल को उपरोक्त समस्त भूमि तादादी रकबा 24 कनाल 16 मरले (3.1 एकड) का कब्जा दिया जा रहा है।

SW/JSO/964
मनकि रोशनी विधवा कृश्ण कुमार पुत्र उदेसिंह निवासी गॉव लाडपुर एंव बिस्वेदार गॉव श्योजीपुरा तहसील बादली जिला झज्जर (हरियाणा) में अराजी बरुवे इन्द्राज जमाबन्दी वर्ष 2017–18, के अनुसार अराजी खेवट न0 12मिन/12 खाता न0 17मिन मु0 न0 8 किला न0 3(7–2), मु0 न0 16 किला न0 7/1/2(0–8), किते 2, तादादी रकबा 7 कनाल 10 मरले सालम (0.9375 एकड) वाका रकबा मौजा श्योजीपुरा तहसील बादली जिला झज्जर की मालिक व काबिज है जिसका तबादला प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुव्किल के साथ किया जा रहा है तथा प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुव्किल को उपरोक्त समस्त भूमि तादादी रकबा 7 कनाल 10 मरले (0.9375 एकड) का कब्जा दिया जा रहा है।

SW/JSO/965
हमकि रोशनी विधवा व बबली पुत्री व जसवन्त सिंह – सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुन्दरलाल पुत्रान कृश्ण कुमार पुत्र उदयसिंह निवासीगण एंव बिस्वेदारान गॉव लाडपुर तहसील बादली जिला झज्जर (हरियाणा) में अराजी बरुवे इन्द्राज जमाबन्दी वर्ष 2017–18, के अनुसार अराजी खेवट न0 336/235मिन खाता न0 350 मु0 न0 26 किला न0 12/2(3–16), 13(8–0), किते 2, तादादी रकबा 11 कनाल 16 मरले का 91/216 भाग (जिसमें सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुन्दरलाल सालम भाग) बकदर 4 कनाल 11 मरले व खेवट न0 405/281 खाता न0 423 मु0 न0 26 किला न0 14/2(1–7), 16/2(2–0), 17(8–0), 18(8–0), 19/1(3–16), 22(7–11), 23(7–11), 24(7–11), 25(5–10), मु0 न0 32 किला न0 22(7–10), मु0 न0 35 किला न0 4(6–18), 13(2–10), मु0 न0 39 किला न0 3/1(4–6), किते 13, तादादी रकबा 72 कनाल 10 मरले 3/16 भाग (जिस